[21/2/2019] परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 662]

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल

पत्र क्रं.-एफ-22(ए)/18/एमपीएस/31/ 945 भोपाल दिनांक-29 /04 /2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

विषय :- तवा परियोजना के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआएम) परियोजना हेतु प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति।

-000-

मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 21 अप्रैल 2016 में तवा परियोजना के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजना के कार्यो हेतु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरणों के लिए निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(i) द्वितीय चरण :- 28,412 हे. अतिरिक्त क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रींकलर) प्रणाली के निर्माण एवं सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अनुमानित लागत रू.458.01 करोड़।

(ii) तृतीय चरण :- तवा बांयी तट नहर में 45.78 कि.मी. से 128.50 कि.मी. तक दांयी मुख्य नहर की पूर्ण लंबाई 7.17 कि.मी. में पिपरिया शाखा नहर (लंबाई 56.75 कि.मी.) में, बागरा शाखा नहर (लंबाई 23.37 कि.मी.) एवं हण्डिया शाखा नहर (लंबाई 55.50 कि.मी.) में लाईनिंग कार्य अनुमानित लागत रूपये 325 करोड़।

(iii) चतुर्थ चरण :- तवा परियोजना की दांयी एवं बांयी मुख्य नहर की पांच वितरिकाओं, जिनकी जल प्रवाह क्षमता 5 क्यूमेक से अधिक है, में लाईनिंग कार्य। अनुमानित लागत रू.75 करोड़।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा तवा परियोजना के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजना के द्वितीय चरण के कार्य की रूपये 458.01 करोड़ (चार अरब अठांवन करोड़ एक लाख), तृतीय चरण के कार्य की रू.325.00 करोड़ (तीन अरब पच्चीस करोड़) एवं चतुर्थ चरण में लाईनिंग कार्य हेतु रू.75.00 (पचहत्तर करोड़) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23 लेखा शीर्ष-4700 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
29/4/16
(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

D:\MPS FOLDAR-2016\MPS-2016\MPS LETTER-2016.doc.docxराऊत//